छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना अधिकार प्रकोष्ठ)
पंजी. क्रमांक 142
दिनांक 30.07.08

संख्या-1/14/2007-आई.आर.
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक: 31 अक्तूबर, 2007

कार्यालय ज्ञापन

विषय: 20 वर्ष पहले घटित घटना/वृतांत/विषय से संबंधित सूचना का खुलासा।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम) की धारा 8 की उप-धारा (3) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि 'उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ञ) और खंड (झ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी ऐसी घटना, वृतांत या विषय से संबंधित कोई सूचना, जो उस तारीख से, जिसको धारा 6 के अधीन कोई अनुरोध किया जाता है, बीस वर्ष पूर्व घटित हुई थी या हुआ था, उस धारा के अधीन अनुरोध करने वाले किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी।' इस विभाग में ऐसे संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिनमें यह स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या अधिनियम के उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार सभी रिकार्डों को 20 वर्ष की अवधि से अधिक समय के लिए सुरक्षित रखा जाना अपेक्षित है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी 'सूचना का अधिकार – सुशासन की मास्टर कुंजी' शीर्षक वाली अपनी पहली रिपोर्ट में फाइलों की प्रतिधारण अनुसूची के संदर्भ में उपर्युक्त प्रावधान की व्याख्या के बारे में आशंका व्यक्त की है।

सूचना का अधिकार अधिनियम रिकार्ड प्रतिधारण अनुसूची निर्धारित नहीं करता। रिकार्डों का प्रतिधारण सम्बद्ध लोक प्राधिकरण में लागू रिकार्ड प्रतिधारण अनुसूची के अनुसार किया जाना अपेक्षित है। स्मरणीय है कि किसी फाइल या रिकार्ड को नष्ट करने से उस फाइल या रिकार्ड में समाहित सभी सूचनाएं नष्ट नहीं हो जाती। यह सम्भव है कि फाइल में सृजित सूचना, फाइल के नष्ट किए जाने के बाद भी कार्यालय ज्ञापन या पत्र अथवा किसी अन्य रूप में उपलब्ध रहे। अधिनियम के उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार इस प्रकार उपलब्ध जानकारी को 20 वर्ष के व्यपगत हो जाने के बाद प्रस्तुत करना अपेक्षित है भले ही ऐसी सूचना को धारा 8 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रकट करने से छूट दी गई हो। आशय यह है कि ऐसी सूचना जिसे अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रकट करने से छूट प्राप्त है, सूचना से संबंधित घटना के घटित होने के 20 वर्ष बाद प्रकट करनी होगी। तथापि निम्नलिखित प्रकार की सूचना, के प्रकटीकरण पर प्रतिबंध बना रहेगा और 20 वर्षों के व्यपगत होने के बाद भी ऐसी सूचना को किसी नागरिक को देने की कोई बाध्यता नहीं होगी :

(i) सूचना, जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किस अपराध को करने का उद्दीपन होता हो;

(ii) सूचना, जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल के विशेषाधिकार का भंग कारित होगा; अथवा

(iii) अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के खण्ड (i) के परंतुक में दी गई शर्तों के अधीन मंत्रिपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श के अभिलेख सहित मंत्रिमंडलीय कागजात।

3. इस कार्यालय ज्ञापन की विषय-वस्तु को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

(कृष्ण गोपाल वर्मा)
निदेशक

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. संघ लोक सेवा आयोग//लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग/निर्वाचन आयोग।
3. केन्द्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग।
4. कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
5. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
6. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग।

प्रतिलिपि प्रेषित : सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव।